

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एस-309/94)/अलेसे-11/72-77 दिनांक :- 19.4.18

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी (लिंक नं. 5230), स.ले.अ.-II कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक 741 दिनांक 14.07.2017 द्वारा एनसीसी कार्यालय जयपुर का दोहरा कार्यभार दिया गया था। जिसकी पालना में श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी ने दिनांक 17.07.2017 से 22.12.2017 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय ग्रुप कमाण्डर एनसीसी ग्रुप हेड क्वार्टर, जयपुर के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया। श्री सैनी द्वारा उक्त अवधि में अतिरिक्त कार्य करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभार (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एस-309/94)/अलेसे-11/72-77 दिनांक :- 19.4.18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. ग्रुप कमाण्डर एनसीसी ग्रुप हेड क्वार्टर, जयपुर।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, स.ले.अ.-II, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)